बिहार सरकार

मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त के लिए आवदेन पत्र

निबंधन संख्या .

कार्यालय द्वारा भरा जायेगा

पासपोर्ट साइज फोटो

1. आवेदक का नाम –

2. आवेदक के पिता / पति का नाम –

3. *लिंग – पुरुष ☐ महिला ☐ तृतीय ☐

4. जन्म तिथि –

5. आवासीय पता –

6. कोटि – (1) अनुसूचित जाति ☐ (2) अनुसूचित जनजाति ☐ (3) अति पिछड़ा वर्ग ☐

(4) पिछड़ा वर्ग ☐ (5) सामान्य ☐

7. आधार कार्ड संख्या –

यदि आधार कार्ड नहीं मिला है तो उसकी पंजीयन संख्या (EID NO.)-

8. बैंक की विवरणी –

(1) बैंक एवं शाखा का नाम –

(2) बैंक खाता संख्या –

(3) IFSC कोड –

9. मोबाइल न० –

10. इ० मेल आई० डी० –

11. शैक्षणिक योग्यता –

परीक्षा उतीर्ण	विद्यालय / संस्थान का नाम	बोर्ड / परिषद् का नाम	परीक्षा का अनुक्रमांक	उतीर्ण होने का वर्ष
इंटरमीडिएट (१२ वी)				

* जो लागू हो उसे ✓ कर दें।

Application Date

12. कुशल युवा प्रशिक्षण हेतु केंद्र के चयन का विकल्प –

(1) प्रशिक्षण हेतु प्रथम प्राथमिकता –	जिला का नाम	
	प्रखंड का नाम	
(2) प्रशिक्षण हेतु द्वितीय प्राथमिकता –	जिला का नाम	
	प्रखंड का नाम	
(3) प्रशिक्षण हेतु तृतीय प्राथमिकता –	जिला का नाम	
	प्रखंड का नाम	

आवेदक की घोषणा

1. मैं घोषणा हूँ कि मेरी आयु आवेदन की तिथि को २० से २५ वर्ष के बीच है ।
2. मैं बिहार मे अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से मात्र इंटरमीडिएट (१२वीं) उत्तीर्ण हूँ एवं मैंने कोई उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं की है , ना ही कर हूँ।
3. मुझे कोई नियोजन अथवा स्वरोजगार नहीं है ।
4. मुझे किसी भी सरकारी स्त्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/ छात्रवृत्ति/कौशल विकास की सुविधा /क्रेडिट कार्ड / किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो रही है ।
5. मैं बिहार का/की स्थायी निवासी हूँ।
6. शैक्षणिक योग्यता , आयु , बिहार के स्थायी निवासी एवं बैंक में खाता होने के संबंध मे मेरे द्वारा स्वभिप्रमाणित (1) इंटरमीडिएट का प्रमाण – पत्र (2) मेट्रिक का प्रमाण – पत्र (3) स्थायी आवासीय प्रमाण – पत्र एव (4) इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र (5) बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की छायाप्रति आवेदन के साथ सलग्न कर दिया गया है ।
7. मुझे जिस दिन से स्थायी / अस्थाई नियोजन या स्वरोजगार प्राप्त हो जायेगा अथवा भविष्य में मैं आवेदन के कंडिका १ से ४ में वर्णित किसी भी घोषणा का अनुपाल नहीं होने पर इसकी सुचना कार्यालय को देते हुए स्वयं सहायता भत्ता का लाभ नहीं

8. मैं घोषणा हूँ की इस आवेदन मे मेरे द्वारा अंकित सभी सूचनाये सही है । यदी कोई सूचना जाँच के क्रम मे गलत पायी जाती है तो इसके लिए मेरे विरुद्ध राज्य सरकार कानूनी कारवाई कर सकती है ।

कुशल युवा प्रशिक्षण से सम्बंधित घोषणा

मैं वचन हूँ कि स्वयं सहायता भत्ता की स्वीकृति के पश्चात् सरकार द्वारा प्रदत कुशल युवा की निः शुल्क प्रशिक्षण का अनिवार्य रूप से प्राप्त एवं प्रशिक्षण के लिए चयनित होने पर –
(1) सभी प्रशिक्षण सत्रों / कक्षाओ मे उपस्थित ,
(2) अनुशासित होकर प्रशिक्षक के अनुदेशो का पालन ,
(3) सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण एवं
(4) जबतक उक्त शर्तो एवं निधारिंत मापदंडो के अनुरूप प्रशिक्षण पूर्ण नहीं मुझे सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होगा ।

आधार कार्ड के उपयोग से सम्बंधित घोषणा

मैंने अपना आधार संख्या समर्पित किया है एवं मै स्वेच्छापूर्वक सहमति हूँ कि –
(1) यु०आई० डी०ऐ०आई० भारत सरकार द्वारा निर्गत आधार / यु०आई० डी० संख्या को मेरे नाम से संधारित आवेदन मे वर्णित बैंक खाता संख्या के साथ जोड़ा जाय ।
(2) इसे एन०पी०सी०आई० (National Payments Corporation of India) मे दर्ज किया जाय ,ताकि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी०बी०टी०) योजना के तहत कोई लाभ मेरे उक्त बैंक खाते मे प्राप्त हो सके मै हूँ कि यदि एक से अधिक प्रकार का लाभ बकाया हो तो मै उस लाभ को इसी बैंक खाते मे प्राप्त करना ।
(3) यु०आई० डी०ऐ०आई० द्वारा प्रदत्त आधार संख्या को मेरी पहचान को प्रमाणित एवं स्थापित करने मे उपयोग किया जायं।
(4) मेरे द्वारा आवेदन मे अंकित मोबाइल संख्या को एस०एम०एस अलर्ट हेतु उपयोग मे लाया जाय।
(5) मैं हूँ कि आधार संख्या के बारे मे मेरे द्वारा जो उपर्युक्त सूचना इसके साथ उपलब्ध करायी गयी है , उसे उपरोक्त कार्य या कानूनी जरूरतों के अन्यथा उपयोग मे नहीं लाया जायेगा।

स्थान –

तिथि –

आवेदक / आवेदिका के हस्ताक्षर

Application Date

आवेदक के लिए महत्वपूर्ण निर्देश :–

(A) आवेदक ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (DRCC) पर किसी भी कार्य दिवस में स्वयं उपस्थित होकर अपने कागजातों का सत्यापन एवं निबंधन करा सकते है।
नोट :–ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् 60 दिनों तक कागजातों का सत्यापन एवं निबंधन नहीं कराने पर आपका आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा।

(B) आवेदक को इस आवेदन पत्र पर अपना फोटो चिपकाकर एवं हस्ताक्षर कर निम्न कागजातों की मूलप्रति एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर उपस्थित होना है :–
(1) 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण–पत्र।
(2) 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण–पत्र,जिसमें आवेदक की जन्मतिथि वर्णित हो।
(3) आवासीय प्रमाण–पत्र।
(4) किसी अनुसूचित बैंक में आवेदक के नाम से संधारित बैंक खाता संख्या तथा बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आवेदक का नाम, पता, बैंक खाता संख्या तथा संबंधित बैंक शाखा का IFSC Code स्पष्टतः अंकित हो।
(5) आधारकार्ड/आधारकार्ड की पंजीयन संख्या (EID) की पावती।
(6) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् स्कूल/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र।

(C) लाभ्यर्थी निश्चित रूप से अपने बैंक खाता संख्या को आधार से लिंक करा लें।

(D) किसी भी प्रकार की जानकारी/सहायता हेल्पलाईन नं0 18003456444 से प्राप्त किया जा सकताहै।

पावती रसीद

श्री/श्रीमती/सुश्री .... से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता हेतु दिनांक .... को सभी वांछित अनुलग्न कों सहित आवेदनपत्र प्राप्त किया, जिसका निबंधन संख्या ....है।

प्राप्तकर्ता का पूर्ण हस्ताक्षर एवं मुहर

आवेदक कृपया ध्यान दें :–

(1) नियमित रूप से स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने हेतु आवेदक के द्वारा प्रत्येक माह 20 तारीख से पहले जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर स्वयं उपस्थित होकर अथवा SMS द्वारा Re-confirmation Message भेजकर योजना हेतु अपनी अहर्त्ता की पुष्टि करना अनिवार्य होगा।
(A) स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी अपने पंजीकृत मोबाईल नम्बर से दूरभाष संख्या 9223166166 पर BH SHA Y (BH<space>SHA<space>Y) लिखकर SMS भेजे।
(B) स्वयं सहायता भत्ता बंद करने के लिए लाभार्थी अपने पंजीकृत मोबाईल नम्बर से दूरभाष संख्या 9223166166 पर BH SHA N (BH<space>SHA<space>N) लिखकर SMS भेजे।

(2) लगातार 3 माह तक Re-confirmation Message नहीं भेजने पर स्वयं सहायता भत्ता स्वतः बंद हो जाएगा।

(3) स्वयं सहायता भत्ता के लाभार्थी को कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। लाभार्थी कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही अंतिम 5 महीने का स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त कर सकेंगे ।

Application Date

आधार संख्या को बैंक खाते से जोड़ने हेतु अनुरोध पत्र

मैंने अपना आधार संख्या समर्पित किया है एवं मै स्वेच्छापूर्वक सहमति हूँ कि –
(1) यु०आई० डी०ऐ०आई० भारत सरकार द्वारा निर्गत आधार / यु०आई० डी० संख्या ( ) को मेरे नाम से संधारित आवेदन मे वर्णित निम्न बैंक खाता संख्या के साथ जोड़ा जाय ।

Bank Name

Account No.

IFSC Code.

(2) इसे एन०पी०सी०आई० (National Payments Corporation of India) मे दर्ज किया जाय ,ताकि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी०बी०टी०) योजना के तहत कोई लाभ मेरे उक्त बैंक खाते मे प्राप्त हो सके मै हूँ कि
यदि एक से अधिक प्रकार का लाभ बकाया हो तो मै उस लाभ को इसी बैंक खाते मे प्राप्त करना ।
(3) यु०आई० डी०ऐ०आई० द्वारा प्रदत्त आधार संख्या को मेरी पहचान को प्रमाणित एवं स्थापित करने मे उपयोग किया जायं।
(4) मेरे द्वारा आवेदन मे अंकित मोबाइल संख्या को एस०एम०एस अलर्ट हेतु उपयोग मे लाया जाय।
(5) मैं हूँ कि आधार संख्या के बारे मे मेरे द्वारा जो उपर्युक्त सूचना इसके साथ उपलब्ध करायी गयी है , उसे उपरोक्त कार्य या कानूनी जरूरतों के अन्यथा उपयोग मे नहीं लाया जायेगा।

स्थान –

तिथि –

आवेदक / आवेदिका के हस्ताक्षर

नोट – मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना **(SHA)** के आवेदक **Online** आवेदन जमा करने के अधिकतम **60** दिनों के अंदर किसी भी कार्य दिवस पर **(10am - 5pm)** , जरुरी प्रमाण पत्रो के साथ जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र **(DRCC)** पहुंच कर प्रमाण पत्रो का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें

Application Date